अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 126/2011

नंदकिशोर ठाकुर

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा, मढौरा, सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
21.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा, सारण के आदेश ज्ञापांक 2196/गो०, दिनांक 25.11.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.11.2011को 08:15 बजे पूर्वाहन नंदकिशोर ठाकुर, ज०वि०प्र०वि, अनु० सं० 23/07, सा०-मेथौरा, पंचायत-टोटहा, प्रखंड-पानापुर, जिला-सारण की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जाँच दल के द्वारा की गई। जांच के क्रम में अनियमितताए पाई गई- (1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बन्द पाई गई तथा विक्रेता दूकान से अनुपस्थित थे। (2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था। (3) विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जांच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों द्वारा उपरोक्त कागजात जांच हेतु प्रस्तुत नही किया गया। (4) विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों द्वारा भंडार के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नही दिखाया गया। उक्त अनियमितता के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन	

पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 2073,दिनांक 10.11.2011 के द्वारा विकेता से कारण-पृच्छा किया गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गयी। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जांच की तिथि को विकेता अनुज्ञापन पदाधिकारीके द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में आहूत बैठक में भाग लेने के लिए मढौरा चले गये थे, जिस वजह से उनकी दूकान बंद थी। विकेता की जेब में चाभी होने की वजह से परिवार के सदस्यों के द्वारा न तो दूकान खोलकर दिखाना संभव हो सका और न ही कोई कागजात ही प्रस्तुत करना संभव हो पाया। विकेता के द्वारा जान-बुझ कर अपनी अनियमितता को छिपाने के लिए दूकान को बंद नही रखा गया था। विकेता के द्वारा नियमित रूप से मूल्य तालिका पट्ट एवं सूचना पट्ट को संधारित किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि जांच की तिथि को किसी शरारती बच्चे के द्वारा इसे मिटा दिया गया हो। निरीक्षण के समय एक ड्राम में किरासन तेल के अवशेष पाये जाने के संबंध में कहना है कि विकेता की दूकान के साथ 254 उपभोक्ता संबद्ध है, जिनमें से 224 उपभोक्ताओं के द्वारा कूपन देकर माह अक्टूबर का किरासन तेल प्राप्त किया गया। जिन 30 उपभोक्ताओं के द्वारा कूपन जमा नही किया गया था, उनका 82.50 लीटर किरासन तेल ड्राम में भंडारित एवं सुरक्षित था। यह कालाबाजारी के उद्देश्य से नहीं रखा हुआ था। विकेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण ससमय किया जाता है। जांच के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल बिन्दु पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से उसे विकेता को उपलब्ध कराकर उनसे पूरक कारण पृच्छा किया जाए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विकेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2196/गो0, दिनांक 25.11.2011) एक मुखर

आदेश नहीं है। विकेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है। विकेता के द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि विकेता अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में आहुत बैठक में भाग लेने के लिए मढौरा गए हुए थे। इस बिन्दु पर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट नही किया गया कि उनके द्वारा ऐसी कोई बैठक बुलाई गई थी या नही। इसी प्रकार, विकेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में जांच के कम में यदि गंभीर अनियमितताए पाई गई तो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि विकेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं विकेता से प्राप्त जवाब के आलोक में विधिसम्मत मुखर आदेश पारित किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नही किया गया। **अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।** साथ ही, अपीलार्थी को निदेश है कि यदि वे स्वयं किसी कारण से दूकान पर उपस्थित नहीं हो तो किसी प्राधिकृत व्यक्ति को दूकान पर रखकर निर्धारित कार्यअवधि में दूकान का संचालन करवाना सुनिश्चित करेंगें। इस आशय का शपथ पत्र अपीलार्थी से प्राप्त करना अनुज्ञापन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगें।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

21/05/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

21/5/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण,छपरा।

ज्ञापांक 361 /न्या0, दिनांक 22/5/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
22/5/15